निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0 प्र0
उद्यान भवन, 2–सप्रू मार्ग, लखनऊ 226 001
दूरभाष 0522–2280277 / फैक्स 0522–2621382

पत्रांक– 526–736 /बजट जि0 यो0 2010–11 / दिनांक 04 मई, 2010.

संलग्नक में उल्लिखित जनपदों के आहरण–संवितरण अधिकारी एवं
जनपदीय अधिकारी।

विषयः–<u>वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये अनुदान सं0–10 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक–2401–119–03–0305–प्रदेश में औद्यानिक उत्पादन का सघनीकरण तथा बीज प्रोसेसिंग केन्द्र (ज़िला योजना) में प्राविधानित धनराशि रू0–50,00 हजार को अवमुक्त किया जाना।</u>

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये अनुदान सं0–10 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत–119–बागवानी तथा वनस्पति की फसलें–03–नर्सरी–0305– प्रदेश में औद्यानिक उत्पादन का सघनीकरण तथा बीज प्रोसेसिंग केन्द्र (जि0यो0) की योजना में प्राविधानित धनराशि रू0 50,00 हजार जो शासनादेश संख्या–1217 / 58–2010–65 / 2010, दिनाँक 28, अप्रैल, 2010 द्वारा अवमुक्त की गई है, का आवंटन संलग्नक में उल्लिखित जनपद / शीर्षक / मद में निम्न विवरण / शर्तो के अधीन किया जा रहा है। अतएव आवंटित धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व इनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये विपरीत परिस्थितियों में आहरण–वितरण अधिकारी एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

शर्ते :–

1– उक्त धनराशि का व्यय विभाग की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार दो–दो माह की फेजिंग करते हुए किया जाये तथा कोषागार से धनराशि का आहरण–तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

2– शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों एवं वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–बी–1–951 / दस–2010–231 / 2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 में निहित निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3– भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जायें।

5– बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित / वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या बी–1–1195 / दस–16 / 94 दिनांक 06 जून, 1994 एवं शासनादेश संख्या–सी0ए0–1191 / दस–2009–मित0–1 / 2007 दिनांक 26–10–2009 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

क्रमशः––2

03/05/10

folder NP07-08 3/5/10

6– वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–490/दस–2009–231/2009 दिनांक 20 मार्च, 2009 में दी गई शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भी कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जाये। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। जिसके लिए कार्यालयाध्यक्ष/आहरण–संवितरण अधिकारी/नियन्त्रक अधिकारी एवं सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

7– निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक मासिक व्यय विवरण निदेशालय को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाये।

8– व्यय को आवंटन की सीमा तक नियन्त्रित भी रखें ।

9– उक्त आवंटित बजट, बजट कन्ट्रोल पंजिका के पृष्ठ सं0–150 पर अंकित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

03/05/10
(रंजन मिश्र)
वित्त नियन्त्रक।

पृष्ठांकन संख्या–526-736 /उक्त दिनांक, 03/05/10

उक्त की प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार लेखा एवं हकदारी (आडिट प्रथम), उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2– विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उद्यान अनुभाग, विधान भवन, लखनऊ।
3– सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/ उप निदेशक उद्यान, उ0 प्र0।
4– संयुक्त निदेशक उद्यान, शाकभाजी, उप निदेशक नियोजन, मुख्यालय, लखनऊ।
5– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0 प्र0 ।
6– निदेशक वित्तीय एवं साँख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7– आवंटन पत्रावली/गार्ड फाईल।

(रंजन मिश्र)
वित्त नियन्त्रक।
3/5/10

निदेशालय के पत्रांक–526–/36 / बजट–जि0यो0–2010–11 दिनांक05-05- का संलग्नक।

अनुदान संख्या–10–लेखाशीर्षक–

2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत–119–बागवानी तथा वनस्पति की फसलें–
03–नर्सरी–0305–प्रदेश में औद्यानिक उत्पादन का सधनीकरण एवं बीज प्रोसेसिंग केन्द्र (जि0यो0) की योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 के लिए आवंटित की जा रही धनराशि का विवरण–

(धनराशि हजार रूपये मे)

क्र0सं0	कार्यालय / जनपद का नाम	42–अन्य व्यय	योग
1	2	3	4
1	जि0उ0अ0, आगरा	34	34
2	जि0उ0अ0,अलीगढ़	74	74
3	जि0उ0अ0,हाथरस	255	255
4	जि0उ0अ0,एटा	40	40
5	जि0उ0अ0,मैनपुरी	28	28
6	जि0उ0अ0,फिरोजाबाद	74	74
7	जि0उ0अ0,मथुरा	163	163
8	अ0 रा0 उ0, झाँसी	233	233
9	सिट्रस विशेषज्ञ, झाँसी	155	155
10	जि0उ0अ0,ललितपुर	165	165
11	जि0उ0अ0,जालौन	55	55
12	जि0उ0अ0,हमीरपुर	205	205
13	जि0उ0अ0महोबा	34	34
14	पा0शो0अ0महोबा	23	23
15	जि0उ0अ0,बादा	58	58
16	जि0उ0अ0,चित्रकूट	103	103
17	जि0उ0अ0,लखनऊ	23	23
18	जि0उ0अ0,रायबरेली	68	68
19	जि0उ0अ0,हरदोई	23	23
20	जि0उ0अ0,उन्नाव	62	62
21	जि0उ0अ0,सीतापुर	103	103
22	जि0उ0अ0,खीरी	85	85
23	जि0उ0अ0,बरेली	57	57
24	जि0उ0अ0,बदायूँ	46	46
25	जि0उ0अ0,पीलीभीत	41	41
26	जि0उ0अ0,शाहजहाँपुर	68	68
27	जि0उ0अ0,मेरठ	59	59

क्रमशः–2

30/5/10 03/05/10
F.C

निदेशालय के पत्रांक-526-736 बजट-जि0यो0-2010-11 दिनांक04-05-2010 का संलग्नक।

अनुदान संख्या-10-लेखाशीर्षक-

2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-03-नर्सरी-0305-प्रदेश में औद्यानिक उत्पादन का सधनीकरण एवं बीज प्रोसेसिंग केन्द्र (जि0यो0) की योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 के लिए आवंटित की जा रही धनराशि का विवरण-

(धनराशि हजार रूपये मे)

क्र0सं0	कार्यालय / जनपद का नाम	42-अन्य व्यय	योग
1	2	3	4
28	जि0उ0अ0,बागपत	28	28
29	जि0उ0अ0,गाजियाबाद	154	154
30	जि0उ0अ0,बुलन्दशहर	90	90
31	जि0उ0अ0,सहारनपुर	44	44
32	जि0उ0अ0,मुरादाबाद	32	32
33	जि0उ0अ0,ज्योतिबाफूलेनगर	19	19
34	अ0,रा0उ0,रामपुर	40	40
35	जि0उ0अ0,बिजनौर	61	61
36	जि0उ0अ0,वाराणसी	58	58
37	जि0उ0अ0,चन्दौली	45	45
38	जि0उ0अ0,गाजीपुर	114	114
39	जि0उ0अ0,जौनपुर	61	61
40	जि0उ0अ0,मिर्जापुर	34	34
41	जि0उ0अ0,सोनभद्र	36	36
42	अ0,रा0उ0,गोरखपुर	61	61
43	जि0उ0अ0,महराजगँज	120	120
44	जि0उ0अ0,देवरिया	26	26
45	जि0उ0अ0,कुशीनगर	26	26
46	जि0उ0अ0,बस्ती	86	86
47	सं0नि0, बस्ती	199	199
48	जि0उ0अ0,संतकबीरनगर	130	130
49	जि0उ0अ0,सिद्धार्थनगर	106	106
50	जि0उ0अ0,आजमगढ़	63	63
51	जि0उ0अ0,मऊ	70	70
52	जि0उ0अ0,बलिया	114	114
53	जि0उ0अ0,इलाहाबाद	114	114
54	जि0उ0अ0,कौशाम्बी	26	26
55	जि0उ0अ0,फतेहपुर	59	59
56	जि0उ0अ0,प्रतापगढ	45	45

क्रमशः-3

3/5/10

03/05/10

F.C-

निदेशालय के पत्रांक-526-736/बजट-जि0यो0-2010-11 दिनांक04-05-2010 का संलग्नक।

अनुदान संख्या-10-लेखाशीर्षक-

2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-03-नर्सरी-0305-प्रदेश में औद्यानिक उत्पादन का सधनीकरण एवं बीज प्रोसेसिंग केन्द्र (जि0यो0) की योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 के लिए आवंटित की जा रही धनराशि का विवरण-

(धनराशि हजार रूपये मे)

क्र0सं0	कार्यालय/जनपद का नाम	42-अन्य व्यय	योग
1	2	3	4
57	जि0उ0अ0,कानपुर नगर	121	121
58	जि0उ0अ0,कानपुर देहात	82	82
59	आ0एवं शा0वि0अ0,फर्रूखाबाद	15	15
60	जि0उ0अ0,कन्नौज	13	13
61	जि0उ0अ0,इटावा	29	29
62	अ0,रा0उ0,फैजाबाद	11	11
63	जि0उ0अ0,अम्बेडकरनगर	32	32
64	जि0उ0अ0,सुल्तानपुर	114	114
65	जि0उ0अ0,बाराबंकी	35	35
66	जि0उ0अ0,गोण्डा	40	40
67	जि0उ0अ0,बलरामपुर	22	22
68	जि0उ0अ0,श्रावस्ती	49	49
69	जि0उ0अ0,बहराइच	42	42
	योग-	5000	5000

(रुपये- पचास लाख मात्र)

3/5/10

(रंजन मिश्र) 03/05/10
वित्त नियंत्रक

निदेशालय के पत्रांक-526-736/बजट-जि0यो0-2010-11 दिनांक04-05-2010 का संलग्नक।

अनुदान संख्या-10-लेखाशीर्षक-

2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-03-नर्सरी-0305-प्रदेश में औद्यानिक उत्पादन का सधनीकरण एवं बीज प्रोसेसिंग केन्द्र (जि0यो0) की योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 के लिए आवंटित की जा रही धनराशि का विवरण-

(धनराशि हजार रूपये मे)

क्र0सं0	कार्यालय/जनपद का नाम	42-अन्य व्यय	योग
1	2	3	4
57	जि0उ0अ0,कानपुर नगर	121	121
58	जि0उ0अ0,कानपुर देहात	82	82
59	आ0एवं शा0वि0अ0,फर्रूखाबाद	15	15
60	जि0उ0अ0,कन्नौज	13	13
61	जि0उ0अ0,इटावा	29	29
62	अ0,रा0उ0,फैजाबाद	11	11
63	जि0उ0अ0,अम्बेडकरनगर	32	32
64	जि0उ0अ0,सुल्तानपुर	114	114
65	जि0उ0अ0,बाराबंकी	35	35
66	जि0उ0अ0,गोण्डा	40	40
67	जि0उ0अ0,बलरामपुर	22	22
68	जि0उ0अ0,श्रावस्ती	49	49
69	जि0उ0अ0,बहराइच	42	42
	योग-	5000	5000

(रुपये- पचास लाख मात्र)

3/5/10

(रंजन मिश्र) 03/05/10
वित्त नियंत्रक